

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
छल करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 268/20 धारा 419 / 420 / 406 / 467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1- बृजेश पाल पुत्र जयराम पाल निवासी लखनोहर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2- रवि दिवाकर पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी एलआईजी वीरसावरकर नगर थाना कबीरनगर जनपद रायपुर, छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा साथियों के साथ मिलकर अपने नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पोकलैण्ड मशीन का फर्जी मालिक बनकर बेईमानी की नियत से मशीन रविदिवाकर को बेच दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना महुली पर दिनांक 25.08.2020 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 27.08.2020 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

01 अदद अवैध कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त नाम पता आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम निवासी मोहल्ला तेली टोला काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तबीरकनगर को गिरफ्तार कर थाना को0 खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 544/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 2548 द्वारा चोर को किया गया गिरफ्तार** – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद के मुस्तबाद से इवेन्ट संख्या 00123 से चोर पकड़ने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुँचकर चोर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर चोर को पकड़ लिया गया तथा एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आ0 रामानन्द चौधरी, आरक्षी रमेश सिंह यादव, हो0चा0 विरेन्द्र चौधरी।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 205 वाहनो से 143800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया** आज दिनांक 27-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 205 वाहनो से 143800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**प्रेस नोट**

**जनपद संतकबीरनगर**

**दिनांक 27/09/2020**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे **'साथ-साथ'** कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल) के आयोजन में आज दिनांक **27.09.2020** को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना डा0 शालिनी सिंह एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी की अध्यक्षता में कुल **02** मामलें आये, दोनो मामलो में सुलह समझौता करवाया गया।

1. श्रीमती अनीता पुत्री फूलचन्द निवासी ग्राम जिगिना पोस्ट भैंसाबाजार थाना बासगांव जनपद गोरखपुर व द्वितीय पक्ष श्री लालमणि पुत्र विक्रम निवासी ग्राम खमोखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती। दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया।
2. श्रीमती आशा देवी पुत्र राजाराम चौहान निवासी ग्राम जुडआन थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर व द्वितीय पक्ष श्री शैलेन्द्र चौहान पुत्र मुंशीराम चौहान निवासी मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा जनपद सन्तकबीनगर। दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया।